अधिसूचना

नई दिल्ली,10 जुलाई, 2017

सा. का. नि. 852 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (उप निरीक्षक) भर्ती नियमों, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में विमानन सुरक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, विमानन सुरक्षा अधिकारी भर्ती नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**:- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**:– उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य वातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता**:- वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**:- जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विमानन सुरक्षा अधिकारी	86* (2017) * (कार्यभार केआधारपर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-6	चयन	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती का पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) पच्चीस प्रतिशत। (25%) प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा (आईएसटीसी) भी है, द्वारा; और (ii) पचहत्तर प्रतिशत। (75%) प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा (आईएसटीसी) भी है, द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मेट्रिक्स में स्तर-4 में ऐसे उप विमानन सुरक्षा अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्षों की नियमित सेवा की हो और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री धारण करते हों। **टिप्पण:**- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी) :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों जिसके अंतर्गत सशस्त्र पुलिस बल भी हैं या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या अर्ध-सरकारी या संवैधानिक या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जिन्होंने मूल काडरया विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-5 में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) उप महानिदेशक(नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो) - अध्यक्ष (ii) संयुक्त निदेशक (प्रशासन) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो - सदस्य (iii) उप निदेशक (नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो) —सदस्य	पद को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

डिग्री; तथा (ii) भारत सरकार या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के पुलिसया सुरक्षा अथवा आसूचना विभाग में दो वर्षों का अनुभव। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति / आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा (आईएसटीसी) भी है, की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा (आईएसटीसी) भी है, की अवधि सामान्यत: तीन वर्षों से अधिक नहीं होंगी। प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा (आईएसटीसी) भी है, पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

[फा. सं. एवी -13029/001/2009-ए एस खंण्ड]

उषा पाढी,संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the10th July, 2017

G.S.R.852(E).– In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Civil Aviation Security (Sub-Inspectors) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Aviation Security Officer in the Ministry of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation Security, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation Security, Aviation Security Officer, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.– The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.– The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person,-

shall be eligible for appointment to the said post:

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.– Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Serviceman, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post(s).**	**Classification.**	**Pay level in the pay matrix.**	**Whether selection or non-selection post.**	**Age for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aviation Security Officer.	86* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', non-Gazetted, non-ministerial.	Level 6.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and other educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	2 years for promotees.	(i) Twenty-Five per cent. (25%) by promotion, failing which, by deputation Including Short-Term Contract (ISTC). (ii) Seventy-Five per cent. (75%) by deputation Including Short-Term Contract (ISTC).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	**If a departmental promotion Committee exists what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Promotion: Deputy Aviation Security Officer in pay level 4 of pay matrix with ten years of regular service in the grade and possessing degree from a recognised university. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :- (i) Deputy Director General (Bureau of Civil Aviation Security) - Chairman (ii) Joint Director (Administration) Bureau of Civil Aviation Security – Member (iii) Deputy Director (Bureau of Civil Aviation Security) - Member.	Consultation with UPSC not necessary.

Deputation (ISTC): Officers under the Central or State Governments including Union territories or Central Armed Police Forces or Public Sector Undertakings or Recognised Research Institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisation,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 5 of pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following Educational Qualification and experience:- (i) Bachelor's Degree from a recognised university; and (ii) two years experience in police/ security/intelligence department of Government of India or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Autonomous Organisation. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** [Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications].		

[F. No: AV-13029/001/2009-AS.(Pt.)]

USHA PADHEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.